न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी हरविन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0 116/दावा/2023(2023/257)	तारीख दायर 26.12.2023	तारीख फैसला 26.06.2024

1. रामलाल आ0 जवारीलाल जाति गुर्जर निवासी लीलेडा चारणान पटवार क्षेत्र ठीकरिया चारणान तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री भंवरसिंह राणावत
अधिवक्ता प्रतिवादीः– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88 एवं 89 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि ख0सं0 353/85, 354/85, 347/82 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम लीलेडा चारणान पटवार क्षेत्र ठीकरिया चारणान तह0 तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जिस पर वादी 30 वर्षो से काबिज काश्त है। वादी के नाम पर उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज की हुयी है। वादी का पी–14 में नाम कब्जेधारी की हैसियत से दर्ज है। वादी उक्त कृषि भूमि की पेनल्टी राज्य सरकार को नियमित जमा करवाता आ रहा है। वादी भूमिहीन काश्तकार है एवं वादी के पास उक्त कृषि भूमि ही एक मात्र आय का साधन है। जिससे वह अपना व परिवार का पालन पोषण करता है। वादी गत 30 वर्षो से लगातार उक्त कृषि भूमि पर खेती करता चला आ रहा है इसलिए वादी के पक्ष में उक्त कृषि भूमि का आवंटन अथवा नियमन किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्मत है। जो भी राजस्व कर निश्चित होगा उसको वादी जमा करवाने के लिए तैयार रहेगा। प्रतिवादी वादी को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए बेदखल किये जाने से वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में कृषि भूमि ख0सं0 353/85, 354/85, 347/82 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम लीलेडा चारणान पटवार क्षेत्र ठीकरिया चारणान तह0 तालेडा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर नियमानुसार आवंटन अथवा नियमन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वादी को प्रदान की जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट 15.02.2024 तहसीलदार तालेडा अनुसार वाद वर्णित आराजी भूमि ख0सं0 353/85 रकबा 0.6313 हैक्टे0 गै0मु0, ख0सं0 347 रकबा 0.7203 हैक्टे0 किस्म गै0मु0 वाके ग्राम लीलेडा चारणान पटवार क्षेत्र ठीकरिया चारणान तह0 तालेडा राजस्व रेकार्ड अनुसार सिवायचक भूमि है।जो नियमन योग्य नही है। वादी भूमिहीन काश्तकार नही है वादी के नाम ग्राम लीलेडा चारणान पटवार क्षेत्र ठीकरिया चारणान तह0 तालेडा में खाता सं0 163 किता 2 कुल रकबा 4.0631 हैक्टे0 मे से 0.4063 हैक्टे0 ,खाता सं0 165 ति

Scanned with OKEN Scanner

1 कुल रकबा 0.4856 हैक्टे0 मे सम्पूर्ण हिस्सा, खाता सं0 166 किता 4 रकबा 1.8048 हैक्टे0 में सम्पूर्ण हिस्सा, खाता सं0 194 किता 1 रकबा 0.4047 हैक्टे0 में 0.2023 हैक्टे0, खाता सं0195 किता 1 रकबा 2.0477 में 0.3412 हैक्टे0 राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में दर्ज है। अतः वाद वादी खारिज योग्य है।

वादी की और से वाद पत्र के समर्थन में खसरा परिवर्तन (पी-14) वर्ष 2018-19, 2020-21, 2021-22 की नकले प्रति पेश की।

बहस उभयपक्ष समाहत की गई । बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर नियमानुसार आवंटन अथवा नियमन किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट अनुसार वाद वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड अनुसार सिवायचक भूमि होने , भूमि गै0मु0 होने से नियमन योग्य नही होने एवं वादी भूमिहीन कृषक नही होने से वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज खसरा परिवर्तन पी-14 की नकलो का अवलोकन करने से वादी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी दर्ज रिकार्ड है। वाद वर्णित आराजी भूमि ख0सं0 353/85, 354/85, 347/82 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम लीलेडा चारणान पटवार क्षेत्र ठीकरिया चारणान तह0 तालेडा राजस्व रेकार्ड अनुसार किस्म गै0मु0 सिवायचक भूमि है। जो नियमन योग्न नही होने, वादी भूमिहीन कृषक नही होने तथा उक्त क्षेत्र चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जहॉ सिवायचक भूमि का आवंटन एवं नियमन उपनिवेशन अधिनियम 1951 (चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में सरकारी भूमि का विक्रय एवं आवंटन) नियम 1957 के तहत किया जाता है। अतः वाद वादी वाद वर्णित आराजी नियमन योग्य नही होने, वादी भूमिहीन कृषक नही होने एवं आवंटन नियमो के परिपेक्ष्य में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner